अति महत्वपूर्ण/मानव सम्पदा पोर्टल

संख्या- 9/2024/379/ सैतालीस-का-5-2024-(1838120)

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : **19-09-2024**

विषय:- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज किये जाने जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023, दिनांक 18 18 अगस्त, 2023, शासनादेश संख्या-7/2024/489/सैतालीस-का-1-2024-13(1)/2024, दिनांक 06.06.2024, शासनादेश संख्या-238/सैतालीस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 11.07.2024, शासनादेश संख्या-4/2024/267/सैतालीस-का-5-2024-(1838120), दिनांक: 17.08.2024 तथा शासनादेश संख्या-362/ सैतालीस-का-5-2024-(1838120), दिनांक 03.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासन के उपरोक्त आदेश दिनांक 03.09.2024 द्वारा कार्मिकों को पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण दर्ज करने हेतु दिनांक 30.09.2024 तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, तथा यह निर्देश भी दिये दिये गये है कि चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कार्मिकों का ही माह सितम्बर, सितम्बर, 2024 का वेतन आहरित किया जाएगा।

3- मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि उक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पोर्टल पर कुल पंजीकृत 8,44,374 राज्यकीय कार्मिकों के सापेक्ष दिनांक 12.09.2024 तक 7,19,807 कार्मिकों द्वारा अपना सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर दर्ज किया गया है। इसकी नियमित समीक्षा आहरण वितरण अधिकारी (DDO) के स्तर पर भी किया जाना आवश्यक है और इस हेतु उन्हें भी उत्तरदायी बनाया जाएगा। यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत समस्त कार्मिकों का ऑनलाइन सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना है, तथा संबंधित विभाग/ कार्यालय प्रमुख का यह दायित्व है कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में अपने विभागान्तर्गत/ कार्यालयन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का वर्ष 2023 का सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर अवश्य ही दर्ज करा दिया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि कार्मिकों द्वारा अपना सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया है तथा उनका विवरण पोर्टल पर दर्शित नहीं हो रहा है है तो संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा एन०आई०सी० से संपर्क कर इस समस्या का निराकरण कराया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जाए। यदि किसी आदेश के अंतर्गत किसी विभाग के कार्मिकों को सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर दर्ज करने से करने से छूट (Exemption) प्रदान की गयी है तो उक्त छूट (Exemption) की सूचना पोर्टल पर उपलब्ध हो।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने विभाग के अधीन समस्त कार्मिकों को वर्ष-2023 का सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर दर्ज करने हेतु निर्देशित निर्देशित करने का कष्ट करें। चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कार्मिकों तथा तथा उपरोक्त कार्मिकों के संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का ही माह सितम्बर, 2024 का वेतन आहरित किया जाए।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज / उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
13. श्री ए०के० रावत, निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
14. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in